छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026 (फाल्गुन 18, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा– 19 के अंतर्गत पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024–25,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2024–25,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में वन अधिकार पट्‌टे का वितरण नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, प्रदेश में स्थापित कारखानों में उद्योग नीति का उल्लंघन किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्रीमती गोमती साय, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

निर्धारित समय

5. वित्तीय वर्ष 2026–2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

2 घंटे (1) **श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मांग संख्या	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय
मांग संख्या	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल
मांग संख्या	43	खेल और युवक कल्याण
मांग संख्या	67	लोक निर्माण कार्य – भवन
मांग संख्या	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण
मांग संख्या	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

2 घंटे (2) **श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या	3	पुलिस
मांग संख्या	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	5	जेल
मांग संख्या	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 8 मार्च, 2026